

न्यायालय रविप्रकाश जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अशोकनगर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक—125 / 13
संस्थित दिनांक:—02.02.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र शादौरा,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1. जितेन्द्र पुत्र खिलनसिंह राजपूत, उम्र 21 वर्ष, निवासी रसीद कालोनी, गुना
2. महेन्द्र पुत्र बादामसिंह कुशवाह
उम्र 25 साल, निवासी मन्दसौर मिल के पीछे, हाल तुलसी सरोवर, अशोकनगर
3. छुट्टन उर्फ छोटू उर्फ जगदीश पुत्र
भैयालाल कुशवाह, उम्र 22 साल,
मन्दसौर मिल, अशोकनगर
4. डल्लू उर्फ लल्लू उर्फ देवेन्द्र पुत्र लल्ला
उर्फ लालाराम रघुवंशी, उम्र 19 साल,
निवासी पठार मोहल्ला, अशोकनगर
(फरार)
5. रामवीर पुत्र कोमल प्रसाद कुशवाह, उम्र
23 साल, निवासी पानी की टंकी के पास, अशोकनगर (फरार)

.....अभियुक्तगण।

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं.

:: निर्णय ::

आज दिनांक / / 2017 को घोषित किया गया।

1. आरोपीगण पर दिनांक 09/10.12.2012 की दरम्यानी रात थाना शादौरा अंतर्गत फरियादी राहुल के स्टेशन रोड़ शादौरा स्थित गोदाम में सूर्यास्त के

पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रछन्न गृहअतिचार या रात्री गृहभेदन कारित करने तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राहुल के स्टेशन रोड़ शाढ़ौरा स्थित गोदाम में, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, से 20 बोरा सोयाबीन को बेईमानीपूर्ण आशय से फरियादी की सम्मति के बिना उसके कब्जे से ले लेने का आशय रखते हुये हटाकर चोरी कारित करने के लिये धारा 457, 380 भादसं के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.12 को फरियादी राहुल जैन ने थाना शाढ़ौरा में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि, वह कस्बा शाढ़ौरा रहता है और गल्ले का व्यापार करता है, उसकी गल्ले की गोदाम रेलवे स्टेशन के पास में है, उसकी गोदाम में करीब 100 बोरे सोयाबीन रखा था, कल वह अपनी गोदाम बंद करके घर चला आया था, आज सुबह करीब 7 बजे वह अपनी गोदाम पर पहुंचा देखा तो गोदाम के ताले टूटे हुये मिले, वह गोदाम का शटर उठाकर अन्दर गया तो देखा कि गोदाम में रखे उक्त बोरों में से 20 बोरा सोयाबीन कीमती कुल 47000/- का कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है, सो रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जावे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना शाढ़ौरा के अपराध क्रमांक 275/12 धारा 457, 380 भादसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई और दौराने विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाकर, आरोपीगण का धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमो लेख कर, आरोपीगण को गिरफ्तार कर बाद विवेचना अनुसंधान कर शेष संपूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
3. आरोपीगण पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा 457, 380 भा.द.सं. के

तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाने पर आरोपीगण ने अपराध कारित करने से इंकार किया और विचारण चाहा। धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त कथन में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित कर बचाव साक्ष्य में प्रविष्ट कराने पर बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया किन्तु बचाव साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09/10.12.2012 की दरम्यानी रात थाना शाढ़ौरा अंतर्गत फरियादी राहुल के स्टेशन रोड़ शाढ़ौरा स्थित गोदाम में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्री गृहभेदन कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर फरियादी राहुल के स्टेशन रोड़ शाढ़ौरा स्थित गोदाम में, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, से 20 बोरा सोयाबीन को बेईमानीपूर्ण आशय से फरियादी की सम्मति के बिना उसके कब्जे से ले लेने का आशय रखते हुये हटाकर चोरी कारित की?

:: सकारण निष्कर्ष ::

उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने से एवं साक्ष्य के दोहराव से बचने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. अ.सा.1 राहुल जिसके द्वारा प्रकरण में प्रपी-1 की रिपोर्ट लिखायी गयी है, का कहना है कि घटना 09/10.12.2012 की दरम्यानी रात की है उसके स्टेशन गोदाम में सोयाबीन रखा था और शाम को 6-7 बजे वह ताला लगाकर चला गया था और शाम को 7 बजे गोदाम पहुंचा था तो गोदाम का ताला टूटा पाया था और अंदर जाकर देखा था तो उसमें से 20 बोरी

सोयाबीन की बोरी गायब थी जिन्हें कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था फिर उसने थाना शाढौरा में प्रपी-1 की रिपोर्ट लिखायी थी।

6. वहीं अ.सा.2 मोहब्बत खान, जो राहुल जैन के यहां घटना के समय हम्माली का काम करता था, ने भी राहुल के गोदाम से 20 बोरी सोयाबीन चोरी हो जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। जबकि अ.सा.3 शिवकुमार जो घटना के समय राहुल के यहां मुनीम था, ने भी राहुल के गोदाम से 20-22 बोरा सोयाबीन चोरी हो जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। इसी प्रकार अ.सा.10 रोहित ने अपने भाई राहुल द्वारा अपने गोदाम से 20 बोरा सोयाबीन चोरी हो जाने की जानकारी दी जाना और तब गोदाम में जाकर देखने पर 20 बोरी सोयाबीन कम होना बताया है। जबकि अ.सा.4 नीतू उर्फ रामकिशन द्वारा भी राहुल द्वारा सोयाबीन चोरी हो जाने संबंधी साक्ष्य दी है और उपरोक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में सोयाबीन चोरी होने के संबंध में परस्पर पुष्टिकारक रही है और सभी साक्षीगण की साक्ष्य में सोयाबीन चोरी होने के संबंध में कोई ऐसा विरोधाभास भी नहीं आया है जिससे उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाये। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से दिनांक 09/10.12.12 की रात्रि में राहुल जैन के गोदाम से 20 बोरी सोयाबीन चोरी हो जाना प्रमाणित होता है।
7. अब यह देखा जाना है कि क्या आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को राहुल जैन के गोदाम में से बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखते हुये, उसके कब्जे से 20 बोरी सोयाबीन हटाया?
8. अ.सा.10 रोहित ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके गोदाम से 20 बोरी सोयाबीन चोरी हो जाने के पश्चात उसके भाई राहुल ने उसे सोयाबीन का पता लगाने बदरवास मण्डी भेजा था, तब वह अपने दोस्त सुनील एवं काम

करने वाले हम्माल को लेकर बदरवास गया था, जहां उसने पिकअप टाटा 207 हरे रंग की गाडी को बदरवास मण्डी में खडी थी, में सोयाबीन के बडे बोरे जिनमें उनकी कम्पनी वीरेन्द्र एण्ड कम्पनी का मार्क लगा था, लदे थे तब उसने वहां खडे व्यक्ति से पूछा था कि माल कहां का है तो उसने कहा था कि बदरवास का है, मण्डी करने लाया है, नाम पूछा तो उसने अपना नाम जितेन्द्र निवासी गुना बताया था और फिर उसने अपने भाई को सूचना दी थी तब भाई ने कहा था कि वह पुलिस लेकर आ रहा है गाडी रोके रखना तब उक्त लोग उसकी बात सुनकर गाडी के पास खडे व्यक्ति गाडी लेकर भागे थे, गाडी का नंबर एम.पी.08 1067 था। फिर उसने मोटरसायकिल से पीछा किया और गाडी का नंबर व लोकेशन राहुल को फोन पर बताया था फिर दोनों व्यक्ति गणेश खेडा पर दो अन्य व्यक्ति जो मोटरसायकिल से आये थे, के साथ गाडी छोडकर, मोटरसायकिल पर बैठकर भाग गये थे फिर पुलिस और राहुल मौके पर आ गये थे।

9. अ.सा.2 मोहब्बत खान ने भी रोहित के साथ बदरवास मण्डी में आने और हरे रंग की मेटाडोर में वीरेन्द्र एण्ड कम्पनी की बोरियां होना और फिर गाडी वालों का भागना और उनके द्वारा पीछा करने फिर देहरदा चौराहे के आगे गाडी छोडकर भाग जाने और पुलिस द्वारा हरे रंग की गाडी एवं 20 बोरे जप्त करना बताया है जबकि अ.सा.4 नीतू उर्फ रामकिशन ने भी राहुल और मोहब्बत के साथ बदरवास मण्डी जाना और वहां पर टाटा पिकअप गाडी में सोयाबीन के बोरे होना और गाडी का नंबर एम.पी.08 जी.ए.1067 होना और पिकअप गाडी द्वारा गाडी को छोडकर भाग जाना बताया है। अ.सा.3 शिवकुमार ने अपनी साक्ष्य में स्वयं को बदरवास मण्डी जाना और तब वहां मेटाडोर में सोयाबीन देखना तत्पश्चात मेटाडोर गाडी ड्राईवर द्वारा गाडी

लेकर भागना और फिर गणेशखेडा पर मेटाडोर छोड़कर भाग जाना बताया है।

10. इस प्रकार अ.सा.10 रोहित, अ.सा.02 मोहब्बत खान, अ.सा.04 नीतू उर्फ रामकिशन एवं अ.सा.03 शिवकुमार की साक्ष्य से बदरवास मण्डी में मेटाडोर क. एम.पी.08 जी.ए.1067 में सोयाबीन के बोरे होना और उक्त सोयाबीन पर वीरेन्द्र एण्ड कम्पनी का मार्का लगा होना प्रकट होता है और अ.सा.10 रोहित की साक्ष्य से जो माल उसने बदरवास मण्डी में मेटाडोर में भरा हुआ पाया था उक्त माल उनका चोरी गया माल था और साक्षी द्वारा प्रपी-04 के पहचानी पंचनामा से उक्त पकड़े गये माल की पहचान कराया जाना बताया है। अ.सा.2 मोहब्बत खान ने भी पहचान पंचनामा प्र.पी.4 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार जो माल राहुल जैन के गोदाम से चोरी गया था उक्त माल ही बदरवास मण्डी में मेटाडोर क. एम.पी.08 जी.ए.1067 से बरामद होना प्रकट होता है।
11. अ.सा.9 एस.एस. चंदेल ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 10.12.12 को थाना शाढौरा में एसआई के पद पर पदस्थ था तब अपराध क्र 275/12 की विवेचना के दौरान उसने रन्नौद रोड गणेशखेडा जिला शिवपुरी से साक्षीगण के समक्ष एक पिकअप गाडी हरे रंग की एम.पी.08 जी.ए.1067 को जिसमें 20 बोरे सोयाबीन वीरेन्द्र एण्ड कम्पनी के थे को वाहन के कागजात सहित एवं लोहे का बका, पत्ती व आंकडी सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-6 बनाया था जिसका समर्थन जप्ती के स्वतंत्र साक्षी अ.सा.3 मोहब्बत एवं अ.सा.10 रोहित द्वारा भी किया गया है जिससे गणेशखेडा से एक पिकअप गाडी हरे रंग की एम.पी.08 जी.ए.1067 को जिसमें 20 बोरे सोयाबीन वीरेन्द्र एण्ड कम्पनी के थे, को जप्त करना प्रकट

होता है।

12. अ.सा.08 जयराम सिंह ने दिनांक 13.12.12 को स्वयं को थाना शाढौरा में एएसआई के पद पर पदस्थ होना और तब अपराध क्र. 275/12 की विवेचना के दौरान दिनांक 13.12.12 को जितेन्द्र से साक्षीगण चंद्रप्रकाश व नीरज के समक्ष पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेण्डम बनाया जाना और तब जितेन्द्र द्वारा महेन्द्र व रामवीर के साथ मिलकर दिनांक 09.12.12 को शाढौरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित वीरेन्द्र कम्पनी का ताला तोड़कर 20 बोरी सोयाबीन गाडी में भरना और उक्त सोयाबीन को बदरवास मण्डी में ले जाना और तब शाढौरा के व्यापारियों का आना और तब उनके द्वारा पूछताछ करने पर मण्डी से गाडी लेकर भाग जाने वाली बात बतायी जाना बताया है किन्तु मेमो व गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी अ.सा.6 नीरज एवं अ.सा. 13 चंद्रप्रकाश द्वारा अपने समक्ष आरोपी जितेन्द्र को गिरफ्तार किये जाने एवं अन्य कोई कार्यवाही की जाने से इंकार किया है और अ.सा.6 नीरज ने मेमोरेण्डम प्रपी-6 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-7 पर ए से ए तथा अ.सा.13 चंद्रप्रकाश ने मेमोरेण्डम प्रपी-6 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-7 पर डी से डी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और उपरोक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी करने पर भी साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है और प्रतिपरीक्षण में थाने पर हस्ताक्षर करा लेना बताया है।
13. अ.सा.8 जयराम ने दिनांक 14.12.12 को रोहित व मोहब्बत खान से आरोपी जितेन्द्र की पहचान कार्यवाही करवाना बताया है जिसका समर्थन अ.सा.10 रोहित एवं अ.सा.2 मोहब्बत द्वारा भी किया गया है और अ.सा.10 रोहित द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्टता जितेन्द्र को पहचान कर वहीं व्यक्ति होना बताया है

जो उसे बदरवास मण्डी में चोरी गये माल की गाड़ी पर मिला था और गाड़ी लेकर भागा था। इस प्रकार अ.सा.08 जयराम द्वारा जिन साक्षीगण के समक्ष आरोपी जितेन्द्र की पहचान कराना बताया है, उन्होंने जितेन्द्र को चोरी गये माल के साथ देखे जाना व्यक्त किया है और जितेन्द्र द्वारा दिये गये प्रदर्श पी.6 के धारा 27 के मेमोरेण्डम में भी वीरेन्द्र कंपनी के गोदाम से ताला तोड़कर सोयाबीन चोरी करने संबंधी तथ्य बताये जाना प्रकट होता है, जिससे जितेन्द्र द्वारा घटना दिनांक को फरियादी राहुल के गोदाम से सोयाबीन चोरी करना प्रकट होता है।

14. जहां तक अन्य आरोपीगण द्वारा चोरी करने का संबंध है, तो अ.सा.8 जयराम ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 09.12.12 को ही आरोपी महेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-9 तथा पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रपी-10 बनाया था तथा आरोपी छुट्टन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-11 तथा पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रपी-12 बनाया था तथा आरोपी डल्लू उर्फ देवेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-13 तथा पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रपी-14 बनाया जाना बताया है, किन्तु आरोपी महेन्द्र, छुट्टन, डल्लू उर्फ देवेन्द्र से किसी प्रकार की कोई जप्ती होना प्रकट नहीं होता है और उक्त तीनों आरोपीगण की पहचान कार्यवाही भी करवाया जाना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है, जबकि अ.सा.10 रोहित द्वारा बदरवास मंडी में दो व्यक्तियों को खड़े हुये देखना बताया है, किन्तु किसी भी अन्य आरोपीगण की पहचान पुलिस द्वारा नहीं करायी गयी है और जिससे अन्य आरोपीगण का चोरी करने में शामिल होना संदेह से परे प्रकट नहीं होता है और तब जबकि, आरोपीगण महेन्द्र, छुट्टन, डल्लू उर्फ देवेन्द्र द्वारा चोरी करने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, सिवाय

सहआरोपी जितेन्द्र के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.6 के और धारा 27 साक्ष्य विधान के अनुसार जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में है प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उस तथ्य का पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि आती हो या नहीं, जितनी इस प्रकार पता चले हुये तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। हस्तगत प्रकरण में एक अभियुक्त यानि जितेन्द्र द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी करने की जानकारी अपने मेमों में दी है।

15. न्याय दृष्टांत पप्पू विरुद्ध स्टेट, 2000 (2) जे.एल.जे. 391 में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसी के विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। उस सूचना का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट आफ एम.पी., 2009 (1) एम.पी. एच. टी. 478 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति के सूचना के मेमों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक की उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो।
16. तब जबकि यहां केवल सहआरोपी जितेन्द्र ने अपने मेमो में ही अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर चोरी करना बताया है, किन्तु उनके संबंध में कोई अन्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जबकि आरोपी जितेन्द्र द्वारा प्रदर्श पी.6 के मेमो में महेन्द्र व रामवीर के साथ चोरी गये माल विक्रय करने बदरवास मंडी में जाना बताया है और बदरवास मंडी में रोहित, मोहब्बत एवं

रामकिशन द्वारा गाड़ी एवं गाड़ी पर उपस्थित व्यक्तियों को देखा जाना बताया गया है, किन्तु उनकी पहचान परेड़ भी नहीं करायी गयी है, तब जबकि प्रकरण में सहआरोपीगण महेन्द्र, छुट्टन के खिलाफ कोई ऐसा तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है, जिससे प्रमाणित हो सके कि उक्त दोनों लोगों द्वारा भी घटना दिनांक को चोरी के अपराध में भाग लिया था, तब उपरोक्त विवेचना के आधार पर आरोपी महेन्द्र व छुट्टन को धारा 457, 380 भादसं के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी जितेन्द्र को धारा 457, 380 भादसं के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

17. परिवीक्षा अधिनियम के तहत आरोपी जितेन्द्र को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार किये जाने पर आरोपी जितेन्द्र द्वारा कारित अपराध को देखते हुए आरोपी जितेन्द्र को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। दण्डाज्ञा पर सुने जाने हेतु निर्णय टंकित किया जाना कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(रविप्रकाश जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अशोकनगर (म.प्र.)

पुनश्च :-

18. दण्डाज्ञा पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी जितेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी जितेन्द्र का यह प्रथम अपराध है और उसके ऊपर कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है और आरोपी जितेन्द्र द्वारा प्रकरण में वर्ष 2013 से नियमित विचारण किया गया है, अतः उन्हें जुर्माने से दण्डित किया जावे। ए.डी.पी.ओ. द्वारा कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण का परिशीलन किया गया यह सही है कि आरोपी जितेन्द्र पर कोई पूर्व दोष-सिद्धि अभिलेख पर नहीं है और आरोपी

जितेन्द्र द्वारा वर्ष 2013 से नियमित विचारण किया जा रहा है, किन्तु जिस प्रकार से आरोपी जितेन्द्र द्वारा रात्रि में गृहभेदन कर चोरी का अपराध कारित किया और जिस प्रकार वर्तमान में चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुये आरोपी जितेन्द्र को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी जितेन्द्र को धारा 457 भा.द.सं. के अपराध के आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास से एवं धारा 380 भा.द.सं. के अपराध के आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। दोनों सजायें साथ-साथ चलेगी।

19. आरोपी जितेन्द्र के जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर, उसे अभिरक्षा में लिया जाकर, सजा वारंट बनाकर सजा भुगताये जाने हेतु जिला जेल अशोकनगर भेजा जावे।
20. आरोपी जितेन्द्र द्वारा विचारण के दौरान भुगती हुई सजा के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र पृथक से बनाया जावे तथा भुगती हुई सजा को मूल कारावासीय सजा से समायोजित किया जावे।
21. आरोपी जितेन्द्र को धारा 363 द.प्र.सं. के तहत निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जावे।
22. आरोपी महेन्द्र के जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
23. आरोपी छुट्टन न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आरोपी छुट्टन का इस प्रकरण के संबंध में रिहाई आदेश जारी हो।
24. प्रकरण में सह आरोपीगण डल्लू उर्फ लल्लू उर्फ देवेन्द्र एवं रामवीर फरार हैं इस कारण से जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

25. प्रकरण में सह आरोपीगण डल्लू उर्फ लल्लू उर्फ देवेन्द्र एवं रामवीर हैं।
अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की
टीप अंकित होवे।

अशोकनगर म.प्र.

दिनांक / / 2017

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया

(रविप्रकाश जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अशोकनगर (म.प्र.)

(रविप्रकाश जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अशोकनगर (म.प्र.)